भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 484
उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025

एमएएनएफ अध्येताओं को छात्रवृत्ति का वितरण न किया जाना

484. डॉ. मोहम्मद जावेदः
श्री मोहिब्बुल्लाहः
श्री सु. वेंकटेशनः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप (एमएएनएफ) के अंतर्गत सैकड़ों अध्येताओं को पिछले कई महीनों से उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त छात्रवृत्ति के वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस तथ्य के बावजूद कि अध्येता सभी शैक्षणिक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, फेलोशिप निधि जारी करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह देरी वित्त मंत्रालय या अन्य प्राधिकारियों से किसी लंबित अनुमोदन से जुड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित छात्रवृत्तियों को तत्काल जारी करने और भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना को 2022-23 से अन्य अध्येतावृत्ति योजनाओं के साथ उसकी ओवरलैपिंग को देखते हुए, बंद कर दिया गया है। हालाँकि, मौजूदा MANF अध्येता अपनी शिक्षावधि की समाप्ति तक अध्येतावृत्ति प्राप्त करते रहेंगे। अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण जनवरी से MANF के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया था।

हाल ही में, योजना दिशानिर्देशों/डीबीटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार MANF के अंतर्गत शामिल छात्रों को धनराशि जारी करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसके बाद, मंत्रालय ने अध्येतावृत्ति के वितरण के लिए नोडल एजेंसी को धनराशि जारी कर दी है।

*****